संख्या-35/274/47-का-3-2014-9/10/2008टी.सी.-।।

प्रेषक,

एस.पी. सिंह
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 18 फरवरी, 2014**

विषय- स्टेट आफ आर्ट सिग्नेचर बिल्डिंग - डा0 राम मनोहर लोहिया स्टेट अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, लखनऊ परियोजना के निर्माणार्थ प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्र संख्या-1898, दिनांक 04.02.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि सिग्नेचर बिल्डिंग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-ई-8-394/दस -2013-1074/2012, दिनांक 07 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या-560ई.जी./23-5-13-24ई. जी./13, दिनांक 11 जून, 2013 के दिशा निर्देशानुसार प्रशासकीय विभाग परीक्षण करते हुए इन शासनादेश के प्रारम्भिक व्ययों के लिए (यथा कन्सलटेन्सी फीस, स्ट्रक्चरल डिजाइन, तथा कार्यदायी संस्था को उनकी सेवाओं की फीस के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लेकर यथा आवश्यक धनराशि का आंकलन करते हुए) नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करेगें। यदि कार्यदायी संस्था को रू0-1.00 करोड का अग्रिम भुगतान किया जाना है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग वित्त (लेखा) अनुभाग-1 का बहुमूल्य परामर्श प्राप्त कर लेगें। प्रश्नगत सिग्नेचर बिल्डिंग के निर्माण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किए जाने हेतु आने वाले व्यय की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से आंकलन कराकर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुक्रम में स्टेट आफ आर्ट सिग्नेचर बिल्डिंग - डा0 राम मनोहर लोहिया स्टेट अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, लखनऊ के निर्माण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किए जाने के परिपेक्ष्य में आने वाले व्यय की व्यवस्था के संबंध में महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अपने स्तर से सुविचारित व्यय का आंकलन कर आगणन प्रस्ताव शासन को कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in